

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक

संख्या-08/आ० 5-28/2025...../ निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 413 दिनांक 21.04.2025 द्वारा श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली-सम्प्रति-सेवानिवृत्त को प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली के पद पर स्थानांतरित किया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 307 (उच्च) दिनांक 21.08.2025 द्वारा उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. प्राप्त आरोप पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अंकित किया गया कि उनके पत्रांक 443 दिनांक 14.05.2025 एवं पत्रांक 473 दिनांक 26.05.2025 द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज को प्रभार सौंपते हुए नवपदस्थापन स्थल पर योगदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त आदेश एवं विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही का आरोप प्रतिवेदित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 951 दिनांक 23.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के नियम 17 (4) में निहित प्रावधान के तहत आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई।

3. उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली के कार्यालय पत्रांक 670 दिनांक 06.10.2025 द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 199 दिनांक 10.02.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 122 (उच्च) दिनांक 07.05.2026 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का पालन न कर अवकाश में जाने के कारण उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना होने संबंधी आरोप प्रमाणित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण

एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत श्री कुमार से निदेशालय के पत्रांक 717 दिनांक 27.05.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा उक्त के अनुपालन में अपना लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वे लंबे समय से बीमार हैं तथा उनका इलाज मेदांता गुरुग्राम में वर्ष 2023 से चल रहा है। स्थानांतरण आदेश की अवधि में भी वे दिनांक 29.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 तक, दिनांक 02.05.2025 से दिनांक 05.05.2025 तक एवं दिनांक 08.05.2025 से दिनांक 10.05.2025 तक आकस्मिक अवकाश में स्वास्थ्य कारणों से रहे हैं। जिसके कारण नियमित कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। पुनः अस्वस्थता के कारण दिनांक 15.05.2025 से 16.06.2025 तक वे चिकित्सकीय अवकाश में रहें। इस अवधि में दिनांक 30.05.2025 को दूसरी बार उनका एंजियोप्लास्टी सर्जरी मेदांता गुरुग्राम में हुआ। आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश पर पुर्नविचार करने हेतु अनुरोध किया गया एवं साथ-ही-साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या 7753/2025 दायर की गयी। उक्त वाद पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2025 को स्थानांतरण स्थगन आदेश पारित किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि श्री कुमार के द्वारा गंभीर स्वास्थ्य कारणों से आदेशित स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। तदालोक में प्राप्त लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य है।

6. अतः श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली-सम्प्रति-सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए इस मामले को निष्पादित किया जाता है, श्री कुमार के द्वारा आवेदित चिकित्सा अवकाश के स्वीकृति के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक 21.08.2026

ज्ञापांक-08/आ० 5-28/2025 - 978/

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा-17), शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लालगंज, वैशाली, आवासीय पता-ग्राम+पोस्ट-गोरीगामा, प्रखंड+थाना-मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिनकोड-843117 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)